तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/1/24	वकुलाय उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 5/3/24 को पेश हो।	
05/3/24	वकुलाय उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा। मिसल वास्ते बहस दिनांक 2/4/24 को पेश हो।	
02/04/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित है। पीठासीन अधिकारी महो० चुनाव कार्य में व्यस्त है। मिसल साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 14.05.24 को पेश हो। रीडर	
14/5/24	वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश 21/5/24 को पेश हो।	
21/5/24	वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई थी दौराने बहस वकील प्रार्थी का कथन रहा कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में इस न्यायालय में पेश अपील सं. 4/2020 बउनवान सुगन सिंह बनाम नरेन्द्र सिंह वगै० आदेश दिनांक 14.3.22 से क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार से परे होना बताते हुए बिना गुण व अवगुण पर विचार किये खारिज कर दी गई। उक्त अपील आदेश 7 नियम 10 जा.दी. के तहत अपीलांट को मय अपील पत्रावली सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाने का आदेश पारित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इस प्रकार उक्त आदेश में रही कानूनी नुक्स / त्रुटि को रिव्यू किया जाना उचित है/ अतः प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थनापत्र स्वीकार कर उक्त अपील की मूल पत्रावली सक्षम न्यायालय में पेश किये जाने हेतु प्रार्थी को लौटाये जाने का रिव्यू आदेश प्रदान किया जावें। जबकि पेशकार सरकार की आपत्ति रही कि यदि प्रार्थी उक्त आदेश 14/3/22 से असंतुष्ट है तो इसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर करनी चाहिए/ इस न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना में क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार से बाहर पेश अपील को खारिज किये जाने बाबत पारित आदेश विधिसम्मत होने से रिव्यू प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया, जिससे ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा LR Act की धारा 135(2) के प्रश्नकारान की सुनवाई की जाकर धारा 75(1)(F) के तहत आदेश पारित किया गया, उक्त आदेश के विरुद्ध अपील डायरेक्टर आफ लेण्ड रेकार्ड (DC/ADC) के यहां दायर किये जाने के विधिक प्रावधान है/ अपीलांट द्वारा विद्वान अधिवक्ता के मार्फत उक्त स्पष्ट कानूनी प्रावधानों के विपरीत इस न्यायालय में अपील पेश की गई, जो बाद सुनवाई उक्त तथ्य सामने आने पर क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार से परे पाये

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म की तामील में जारी हुआ
	जाने पर अपील आदेश दिनांक 14/3/22 से खारिज की गई। प्रार्थी उक्त आदेश दिनांक 14/3/22 को विधिविरुद्ध साबित करने में असफल रहा है। जहां तक अपील की मूल पत्रावली अपीलांट को लौटाने का प्रश्न है तो ऐसी कार्यवाही अपील न्यायालय में दर्ज रजिस्टर हो जाने के बाद किया जाना संभव नहीं है। यही यहउल्लेख करना उचित है कि प्रार्थी को तहसीलदार द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण के विरुद्ध सक्षम न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर न्यायोचित राहत प्राप्त करनी चाहिए। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश दिनांक 14/3/22 में ऐसी कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी गई, जिसे रिव्यू किया जाना विधिसम्मत हो। प्रार्थनापत्र प्रार्थी सारहीन होने से अस्वीकार किया किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे। (हस्ताक्षर) जिला कलेक्टर, बून्दी	